उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

25/2023

तारीख रजू ....

बनाम ....

राकेश ग्यासोदेवी वगैरा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
023	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी/जबाव पेश होने तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 3125, 3127, 3133/3512, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, वाके ग्राम तसई बी तहसील कठूमर की सायल के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 09.03.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा ... तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी ... रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 09.0... को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sukha Ram Pindel Date: 2024.05.23 15:35:15 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0	

5/6/23

पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित गैर सायल सैला। कि ओर से जवाब पेश किया गया। कि किया गया पत्रावली वास्ते बहस दा में दिनांक 8/6/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

8/6/2023

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित है। प्रार्थना पत्र आ.7 नि.11 पर सुनी गई वकील सायल ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया वकील गैरसायल ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल सैला व सावित्री पुत्री सादूराम का देहान्त दिनांक 21.7.2011 को दावा दायरी से पूर्व हो चुका है। सायल का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल ना होने के कारण खारिज किया जावे ताईद में मृत्यु प्रमाण पत्र गैरसायल सैला व का पेश किया सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र आ.7 नि.11 में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय होने वाली क्षति सायल के पक्ष में साबित ना होने के कारण प्रार्थना पत्र आ.7 नि.11 खारिज किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 17.2.23 को ब्रेकट किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी की जाकर दाखिल दफ्तर हो फैसला र.ई. सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 15:35:15 IST
Reason: Self Attested